



सरकारी गंजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, सोमवार, 18 जनवरी, 1971

पौष 28, 1892 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका विभाग

संख्या 6001(1)/17--329-70

लखनऊ, 18 जनवरी, 1971

विज्ञप्ति

विविध

‘भारत का संविधान’ के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐण्ड इविक्शन (जारी रखने का) विधेयक, 1970 पर दिनांक 13 जनवरी, 1971 संख्या 9, 1971 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस विज्ञप्ति द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐण्ड इविक्शन

(जारी रखने का) अधिनियम, 1970

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9, 1971)

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित किया गया)

यूनाइटेड प्राविन्सेज (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐण्ड इविक्शन ऐक्ट, 1947 को अग्रेतर एक वर्ष की अवधि के दौरान जारी रखने की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

1—यह अधिनियम, उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐण्ड इविक्शन (जारी रखने का) संस्कृत नाम अधिनियम, 1970 कहलायेगा।

2—यूनाइटेड प्राविन्सेज (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐण्ड इविक्शन ऐक्ट, 1947 की धारा १ की उपधारा (4) में संख्या “1970” के स्थान पर संख्या “1971” रख दी जाय। यू० पी० ऐक्ट संख्या 3, 1947 की धारा 1 का संशोधन।

3—उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐण्ड इविक्शन (जारी रखने का) अध्यादेश, 1970 द्वारा निरसित किया जाता है। उ० प्र० अध्यादेश सं० 19, 1970 का निरसन।

No. 6001(i)/XVII—329-70

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh (Temporary) Control of Rent and Eviction (Jari Rakhané Ka) Adhiniyam, 1970 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 9 of 1971) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on January 13, 1971:

**U. P. (TEMPORARY) CONTROL OF RENT AND
EVICTION (CONTINUANCE) ACT, 1970**

(UTTAR PRADESH ACT NO. 9, 1971)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN
ACT.

to provide for the continuance during a further period of one year of the provisions of the U. P. (Temporary) Control of Rent and Eviction Act, 1947.

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-first Year of the Republic of India as follows :

Short title.

1. This Act may be called the U. P. (Temporary) Control of Rent and Eviction (Continuance) Act, 1970.

Amendment of
section 1 of U. P.
Act No. III of
1947.

2. In sub-section (4) of section 1 of the United Provinces (Temporary) Control of Rent and Eviction Act, 1947, for the figures "1970" the figures "1971" shall be substituted.

Repeal of U. P.
Ordinance No. 19
of 1970.

3. The Uttar Pradesh (Temporary) Control of Rent and Eviction (Continuance) Ordinance, 1970, is hereby repealed.

आज्ञा से,
प्रेम प्रकाश,
सचिव।